(नियमित जमानत प्रार्थना पत्र)

CNR No.– UPME010088312026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण (V.B.U.P.S.E.B.), मेरठ

पीठासीन अधिकारी–अजय कुमार–I, (एच०जे०एस०) J.O. Code UP–6395

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन सं०–3053/2026

प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना पत्र सं०–81/2026

जयदीप कुमार पुत्र श्री धर्मवीर सिंह, मूल निवासी ग्राम जलीलपुर मुलकटा, रजबपुर, जिला अमरोहा उ०प्र० हाल तैनाती स्टेनो, कार्यालय उपायुक्त राज्य कर, खण्ड–04, थाना कोतवाली नगर, जनपद हापुड़ उ०प्र०। **.....आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **..... अभियोजन पक्ष**

अं०धारा–7 भ्र०नि० अधि० 1988 यथा संशोधित 2018
मु०अ०सं०–274/2026
थाना– कोतवाली नगर, जनपद हापुड़।

उपस्थित:– अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री देवकी नन्दन शर्मा।
राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री डॉ संजीव कुमार गुप्ता।

दिनांक– 19.06.2026

1. प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त जयदीप कुमार पुत्र श्री धर्मवीर सिंहके विद्वान अधिवक्ता की ओर से अन्तर्गत धारा–7 भ्र०नि०अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018, मु०अ०सं०–274/2026, थाना कोतवाली नगर, जिला हापुड़ के मामले में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र के साथ पैरोकार/पुत्र के रूप में दीपा यादव का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभियोजन मामला इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता की मोदीनगर रोड हापुड में सावित्री बीज भण्डार के नाम से दुकान है, जिसका जीएसटी नं–09 सी ई.आई. पी. एस. 1960 आर. 1 जेड.जे. है। सहायक आयुक्त राज्यकर खण्ड–04 हापुड के स्टैनो जयदीप ने शिकायतकर्ता को 08 मई 2026 को फोन करके अपने आफिस आकर मिलने के लिये कहा। जब शिकायतकर्ता उनके आफिस में गया तो उन्होंने इसे अपने कम्प्यूटर की स्क्रीन पर 48000.00 रुपये का टैक्स शिकायतकर्ता को दिखाया और कहने लगा कि अगर आप इसके आधे 24000.00 रुपये मुझे दे दोगे तो मैं इस सारे टैक्स को अपने स्तर पर खत्म कर दूंगा। जबकि ऐसा कोई टैक्स शिकायतकर्ता के ऊपर बनने की कोई जानकारी नहीं है और न ही शिकायतकर्ता को कोई नोटिस प्राप्त हुआ है। जबकि ऐसा कोई टैक्स अगर शिकायतकर्ता के ऊपर बनता हो तो वह उसे भी जमा करने को तैयार है लेकिन वह किसी भी तरह की अवैध रिश्वत नहीं देना चाहता है। स्टैनो जयदीप शिकायतकर्ता के ऊपर लगातार फोन करके रुपये देने के लिये दबाव बना रहे हैं।

शिकायतकर्ता पास उनकी फोन रिकार्डिंग भी है। वह स्टैनो जयदीप सिंह को रिश्वत नही देना चाहता है बल्कि रिश्वत की धनराशि को लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता है। शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रीट्रैप जांच निरीक्षक श्री संदीप कुमार के द्वारा प्रीट्रैप जांच आख्या की दी गयी। प्रीट्रैप जांच से शिकायत की पुष्टि होने पर ट्रैप टीम का गठन किया गया। ट्रैप टीम के द्वारा दिनांक 28.05.2026 को जिलाधिकारी मेरठ के द्वारा नामित स्वतन्त्र साक्षीगण की उपस्थिति में अभियुक्त को शिकायतकर्ता से 24,000/–रुपये रिश्वत के लेते हुये रंगे हाथों मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में फर्द तैयार की गयी। फर्द के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत इस जमानत प्रार्थना पत्र में आधार लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। शिकायतकर्ता चमन सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान मेरठ सैक्टर मेरठ की ट्रैप टीम से मिलकर विभाग को दिये जाने वाली जी०एस०टी० से बचने के लिये बिना किसी अपराध के झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को शिकायतकर्ता या किसी अन्य व्यापारी पर जी०एस०टी० लगाने या नोटिस जारी करने का कोई अधिकार नही है। यह समस्त कार्य उच्च अधिकारियों द्वारा नियमानुसार व्यापारी द्वारा ऑनलाईन अपने माल का विवरण अपडेट करने के उपरान्त उच्च अधिकारियों द्वारा नियमानुसार उस पर बने टैक्स को ऑनलाईन ही तैयार कर नोटिस जारी किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता चमन सिंह से न तो कभी कोई बातचीत की गयी, न ही उसके व्यवसाय सावित्री बीज भण्डार पर देय टैक्स का नोटिस ही जारी किया गया था, न ही प्रार्थी/अभियुक्त को किसी प्रकार का नोटिस जारी करने का कोई अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता से दिनांक 08.05.2026 को अंकन 24,000/– रूपये रिश्वत की कोई मांग नही की गयी तथा न ही फोन पर किसी प्रकार की कोई रिश्वत की मांग की गयी है। शिकायतकर्ता से मिलने व रिश्वत मांगने व लेने की कोई दिन या तारीख अंकित नही है। शिकायतकर्ता व प्रार्थी/अभियुक्त के बीच दिनांक 29.05.2026 को मिलने या रिश्वत लेने की किसी प्रकार की कोई बातचीत कभी नही हुई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार शिकायती पत्र की प्री ट्रैप जांच निरीक्षक श्री सन्दीप कुमार द्वारा दिनांक 25.05.2026 को करना बताया गया है, परन्तु उक्त प्री ट्रैप जांच आख्या में भी रिश्वत मांगने या लेने की कोई तिथि अंकित नही है, मात्र प्री ट्रैप जांच आख्या देने वाले निरीक्षक द्वारा अपने कार्यालय में बैठकर बिना कोई जांच किये रटी रटाई झूठी जांच आख्या प्रेषित की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार भी दिनांक 29.05.2026 को शिकायतकर्ता के द्वारा पैसे दिये जाने की बात फर्द ट्रीट के उपरान्त बताया जाना अंकित है, जबकि ट्रैप टीम द्वारा पूर्व से ही दिनांक 29.05. 2026 के लिये ट्रैप टीम का गठन कर स्वतन्त्र साक्षी प्राप्त कर लिये गये थे, जिससे स्पष्ट है कि ट्रैप टीम पूर्व से ही उस रोज बिना किसी आधार के ट्रैप आयोजित करने की कार्यवाही कर चुकी थी तथा फर्द ट्रीट तैयार करते समय भी जनता का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही लिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी उक्त नोटों को मेज की दराज से बरामद करना बताया गया है। इस कारण प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 का कोई अपराध नही बनता है। यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार ट्रैप टीम द्वारा सरकारी कम्प्यूटर के डेक्सटॉप पर जो नोटिस शिकायतकर्ता की फर्म से सम्बन्धित प्राप्त करना बताया गया है वह भी वर्ष 2022–2023 का बताया गया है, जबकि वर्तमान में यदि कोई नोटिस जारी किया जाता तो वह वर्ष 2025–2026 का होना चाहिये था। जिससे स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता से मिलकर फर्जी नोटिस तैयार किया गया है। तथा वर्ष 2022–23 में शिकायत कर्ता पर कोई GST देय नही है। दिनांक 29.05.2026 को प्रार्थी / अभियुक्त अपने कार्यालय में बैठा शासकीय कार्य कर रहा था, तभी 03–04 लोग सादे कपडों में आये और प्रार्थी/अभियुक्त को जबरदस्ती पकड कर झूठी कार्यवाही करते हुए उठाकर थाना कोतवाली नगर हापुड पर ले गये और यह झूठा मुकदमा कायम करा दिया। धारा 105 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार रिश्वत दिये जाने व गिरफ्तारी व बरामदगी की

वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाना आवश्यक है परन्तु उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान मेरठ सैक्टर मेरठ की टीम द्वारा मौके पर ऐसी कोई कार्यवाही नही की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी/अभियुक्त एक सभ्य परिवार का सम्मानित सदस्य है।

4. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा इस जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता से करीब 48,000/– रूपये उसके ऊपर लगे टैक्स का निस्तारण कराने की एवज में 24,000/–रुपये उत्कोच की धनराशि प्राप्त करते हुये मौके से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य केस डायरी पर उपलब्ध है। अतः जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है।

5. अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता से करीब 48,000/– रूपये उसके ऊपर लगे टैक्स का निस्तारण कराने की एवज में 24,000/– रुपये उत्कोच की धनराशि प्राप्त करते हुये, जिलाधिकारी मेरठ द्वारा नामित दोनों स्वतन्त्र साक्षीगण श्री जगवीर सिंह चौधरी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग एल०एल०आर०एम० मेडिकल कॉलेज, मेरठ व श्री विपिन कुमार, तैनाती प्रधान सहायक, बीएसए कार्यालय, जनपद मेरठ के समक्ष रंगे हाथों पकड़े जाने का अभियोग है। प्रीट्रैप जांच के उपरान्त ट्रैप टीम का गठन होने, ट्रैप टीम को शिकायतकर्ता के द्वारा दिये गये नोटों को ट्रीट किये जाने, नोटों को ट्रीट करने के सम्बन्ध में फर्द प्रदर्शन तैयार करने, ट्रैप के लिये दो स्वतन्त्र गवाहों को नामित किये जाने तथा ट्रैप टीम के द्वारा अभियुक्त को शिकायतकर्ता से धनराशि प्राप्त करते हुये रंगे हाथों पकड़े जाने के सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य केस डायरी पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अपने पद का दुरूपयोग करते हुए उत्कोच प्राप्त करने के अपराध के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय **सी.बी.आई. बनाम संतोष करनानी 2023 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 427** में कठोर दृष्टिकोण रखने के संबंध में व्यक्त किये गये मत को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त जयदीप कुमार पुत्र श्री धर्मवीर सिंह की ओर से अन्तर्गत धारा –7 भ्र०नि०अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018, मु०अ०सं०–274/2026, थाना कोतवाली नगर, जिला हापुड़ के प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना पत्र संख्या –81/2026 निरस्त किया जाता है।

अभियुक्त जेल में है। इसलिये अभियुक्त को सूचनार्थ इस आदेश की प्रतिलिपि ई –मेल के माध्यम से जिला कारागार प्रेषित की जाये।

दिनांकः 19.06.2026

(अजय कुमार–I)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण
(V.B.U.P.S.E.B.), मेरठ।

Digitally signed by AJAY KUMAR
Date: 2026.06.19 17:27:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Meerut